उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 11AA 872597

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
प्रारूप–26
(नियम 4 क देखिए)

रायपुर–19 निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ–पत्र।

मैं **विनोद बड़थ्वाल** पुत्र **स्व0 श्री चण्डी प्रसाद बड़थ्वाल** आयु **58** वर्ष, जो **कैलाश विहार, लाडपुर, रायपुर जिला देहरादून, उत्तराखण्ड** का निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ:–

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

   (यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हैं तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी): – लागू नहीं

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं Cr. No. 419/87

(ii) पुलिस थाना (थाने) कोतवाली जिला या जिले देहरादून राज्य उत्तराखण्ड

(iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 147, 323 IPC

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचनाक की गई. CJM देहरादून

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे ज्ञात नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं जी नहीं

NOTARY
Surender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
GOVT. OF UTTARAKHAND

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाली अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया ~~गया है~~ / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट ~~किया गया है~~ / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा): –

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया हैं लागू नहीं

(iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) देहरादून राज्य उत्तराखंड

(iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है वाद सं 2162/2010 M.S. [illegible] u/s [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.....
.....लागू नहीं.....

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.....लागू नहीं.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स्थान: देहरादून
तारीख:- 11/01/2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 11/01/2012 को सत्यापित किया।

1927/12

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर